

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/1031

दिनांक:- १३/१२/१७

आदेश

जवाहर नगर बून्दी आवासीय योजना कोटा के अधीन रेन्टल योजना में आरक्षित मध्यम आय वर्ग अंक का एक आवास का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निरतारण किये जाने हेतु उप आवासन आयुक्त वृत्त कोटा/अंतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय जयपुर द्वारा अनुशंषा की है। नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले आवास का विवरण निम्नानुसर है:-

क्र.सं	आवास संख्या	आय वर्ग	योजना
1	1-इ-12	मध्यम आय वर्ग (अ)	जवाहर नगर बून्दी

उपरोक्त आवास संख्या 1-इ-12 को नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। “निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।”
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु :-

1. निजी सचिव-जनकर / आपोस्टन आयुक्त नहीं। राजस्थान आवासन ना डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता— तृतीय, रा० आ० मा०, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत कोटा।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा रा०आ०म० कोटा।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी नागरिक रोवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

गुरुवार
२५ अक्टूबर २०१७